कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद टिहरी र ईमेल– cf

री गढ़वाल / उत्तरकाशी। ईमेल– cfotwl.ukfs@gmail.com

दिनांक- अक्टूबर 👢 , 2024।

पत्रांक- न-2/सीएफओ-PO-UKI/2024

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक

ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE THATI DHANARI, DUNDA Distt- Uttarkashi

विषय:-

अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके ऑनलाईन आवेदन पत्र संख्या— 37509930, दिनांक— 25.09.2024 के परिपेक्ष में इस कार्यालय से निर्गत आदेश के अनुपालन में प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा आपके प्रश्नगत स्थल "ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE" थाती धनारी, डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या पत्रांक— न—1/एफ0एस0/2024, दिनांक— सितम्बर 30, 2024 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। जिसमें निरीक्षण के दौरान निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

प्रश्नगत स्थल गंगोत्री—उत्तरकाशी रोड़ पर देवीधार से लगभग 12 किमी लिंक रोड़ पर ग्राम धनारी में सड़क किनारे स्थित

है, जिसमें कुल कवर्ड एरिया 1232 वर्ग मी0 है।

2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्थल में भवन छः ब्लॉक में निर्मित हैं। जिसमें A ब्लॉक के भूतल में 05 कमरे व प्रथम तल में 04 कमरे, B ब्लॉक में 01 हॉल, C ब्लॉक के भूतल में 03 कमरे व प्रथम तल में 03 कमरे, D ब्लॉक के भूतल में 02 कमरे, E ब्लॉक के भूतल में 02 कमरे एवं F ब्लॉक के भूतल में 01 कमरा है।

3. प्रश्नगत स्थल तक अग्निशमन वाहन आसानी से आ-जा सकता है।

4. प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

5. प्रश्नगत भवन में ए.बी.सी. फायर एक्सिटेंग्यूशर क्षमता 04 किग्रा— 06 अदद एवं सी.ओ.2 फायर एक्सिटेंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा 01 अदद का प्राविधान किया गया है जो कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पाये गये।

6. प्रश्नगत स्थल में हौजरील 01 अददद का प्राविधान किया गया है जो टेरिस टैंक के साथ कनैक्टेड है।

7. प्रश्नगत भवन में पानी का रिजर्व स्टोरेज टैंक क्षमता 15,000 लीटर का प्राविधान किया गया है, जो पानी से भरे पाये गये।

8. प्रश्नगत भवन में फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान किया गया है।

9. भवन की विद्युत व्यवस्था एम०सी०बी० एवं ई०एल०सी०बी० पर आधारित है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत स्थल का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि —

परिसर के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC 2016 के Part- 04 में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निस्रक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

2. परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख—रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे।

पिरसर के सभी निकास मार्ग या आपातकालीन मार्ग व सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखे जायें।

4. प्रश्नगत स्थल में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।

प्रश्नगत स्थल में फायर सर्विस का टेलीफोन नं0 01374—222201, धुम्रपान निषेध बोर्ड, पुलिस कंट्रोल रुम का नं0—100,

112 तथा एम्बुलेन्स का टेलीफोन नं० 108 अकित किया जाय।

6. परिसर में विद्युत स्विच बोर्ड / विद्युत पैनल के आस—पास, निकास मार्ग एवं सैट बैक क्षेत्र में किसी सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा। भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।

प्रश्नगत स्थल का प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रू० प्रति फायर एक्सटियूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60 अन्य सेवायं, 109 अग्नि से संरक्षण एव नियन्त्रण जमा कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में प्रश्नगत स्थल/परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व—घोषणा प्रमाण—पत्र (Self Declaration Certificate) प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।

8. प्रश्नगत स्थल की उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील एवं उच्च स्तर का बनाये रखने के साथ ही कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं संचालन की जानकारी होना आवश्यक होगा।

निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण / कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नही होगा।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालयं से दिये गये निर्देश/सुझाव एवं शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी उत्तरकाशी की संस्तुति आख्या के आधार पर "ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE" थाती धनारी, डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी को दिनांक— 01 अक्टूबर, 2024 से 30 सितम्बर, 2027 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपित नहीं है।

अतः अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

(संजीवां नुमार) मुख्य अञ्निशामन अधिकारी रिहरी गन्यान/उत्तरकाशी।